मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल-462004

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी, 1998

क्रमांक एफ-11-58-98-1-10

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय.— लोक आयुक्त संगठन/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अभियोजन के प्रकरणों में शासकीय/अर्द्ध शासकीय कर्मचारियों का निलंबन.

राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक सी-6-2-96-3-1, दिनांक 17 अप्रैल, 1996 द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1996 के नियम-9 में निलंबन के मामलों में विशेष रूप से यह व्यवस्था की गई है कि भ्रष्टाचार या अन्य नैतिक पतन अन्तर्वलित दाण्डिक अपराध में उसके विरुद्ध चालान प्रस्तुत करने की स्थिति में शासकीय सेवक को सदैव निलंबित किया जायेगा.

शासन के ध्यान में आया है कि एक प्रकरण में लोक आयुक्त संगठन की अनुशंसा प्राप्त होने पर आरोपी अधिकारी के अभियोजन के लिए स्वीकृति देने के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने पर आरोपी अधिकारी का निलंबन नहीं किया गया.

शासन द्वारा समस्त विभागों को पुनः स्पष्ट किया जाता है कि लोक आयुक्त/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के भ्रष्टाचार संबंधी मामलों में अभियोजन की स्वीकृति देने में अथवा आरोपी अधिकारी को निलंबित करने की कार्यवाही में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं किया जाना चाहिए. अभियोजन स्वीकृति के लिए विभाग को अधिकतम एक माह का समय दिया गया है और चालान के बाद निलंबन तो तत्काल किया जाना चाहिए. भविष्य में यदि किसी विभाग/अधिकारी द्वारा इस प्रकार की पुनरावृत्ति की जाती है तो संबंधित विलंबकर्ता अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जावेगी.

हस्ता./
(गोपाल शरण शुक्ल)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी, 1998

पृ. क्र. एफ-11-58-98-1-10

प्रतिलिपि :—

1. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
2. निज सचिव, समस्त मंत्रीगण, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
3. विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, लोक आयुक्त संगठन, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ प्रेषित.

हस्ता./
(गोपाल शरण शुक्ल)
अपर मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.